Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 1-6

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ राज्य के राजस्व-स्रोत : कृषि करों एवं उपकरों के विशेष संदर्भ में

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

शंकर सिंह पोटलिया
शोधार्थी, इतिहास विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

शोध सारांश

18वीं शताब्दी में मारवाड़ सहित राजस्थान की सभी रियासतों की राजनीतिक-आर्थिक स्थिति को आकार देने में जिन कारकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक था, मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों का शक्तिशाली होना तथा उनका राजस्थान की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उनसे चौथ और सरदेशमुखी नामक भारी करों की वसूली करना। मराठों की इस नीति ने न केवल मारवाड़ अपितु राजस्थान की समस्त रियासतों की राजनीतिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, राजस्थान की रियासतों पर मराठों के आक्रमण तथा नागरिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप, मुख्यतः उत्तराधिकार संबंधी मामलों में और अधिक बढ़ गया। इसके अलावा, रियासतों के अपने आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक झगड़े थे। अधीनस्थ जागीरदारों और पिंडारियों ने भी रियासतों के शासकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस प्रकार, इस समय मारवाड़ सहित राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में गंभीर सामंती अशांति, अराजकता और परिणामस्वरूप आर्थिक अवनति देखने को मिलती है। इस शोध पत्र का मुख्य विषय इसी राजनीतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ अथवा मारवाड़ राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों, मुख्यतः कृषि करों एवं उपकरों, की प्रकृति, प्रवृत्तियां, पैटर्न तथा उनके निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया को समझना है। शोध पत्र लेखन के लिए मुख्यतः राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर तथा उसकी जिला शाखा, जोधपुर जिला अभिलेखागार में संरक्षित पुरालेखीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इन स्रोतों में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की मारवाड़ राज्य की विभिन्न प्रकार की बहियां, मुख्य रूप से विभिन्न हुकूमतों की जमाबंदी बहियां प्रमुख है।

संकेताक्षर—*खालसा, जागीर, परगना, हालजमा, मालहासिल, बाब*

प्रस्तावना

सन् 1749 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, राम सिंह, मारवाड़ का शासक बना। शासक बनने के तुरंत बाद उनके तथा उनके चाचा और नागौर के शासक बख़्तसिंह, जिनके अधीन जालोर परगना भी था, के बीच मारवाड़ का शासक बनने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। राम सिंह इस युद्ध में पराजित हुआ और बख्तसिंह 1751 ईस्वी सन् में मारवाड़ के सामंत वर्ग की सहायता से शासक बन गया।[1] किंतु शासक बनने के एक वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका पुत्र विजय सिंह, जिनका शासनकाल (1753-93) हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है, 31 जनवरी 1753 को मारवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्हें राम सिंह, जो उनका चचेरा भाई था, से मारवाड़ के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष करना पड़ा था। विजय सिंह के मारवाड़ का महाराजा बन जाने पर राम सिंह, जो पहले से ही मराठों का सहयोग लेने का प्रयास कर रहा था, मराठों की सेना सहित जोधपुर की तरफ बढ़ा। मेड़ता के युद्ध में विजय सिंह पराजित हुआ किंतु उसने मराठों को अजमेर का प्रांत और 20 लाख रुपए और

राम सिंह को मेड़ता, परबतसर, मारोठ, सोजत और जालोर के परगने देकर दोनों पक्षों से संधि कर ली।[2] वास्तव में मराठों का उद्देश्य दोनों पक्षों से अधिक से अधिक धन की वसूली करना था, न कि किसी एक पक्ष को सहयोग देकर जोधपुर का शासक बनाना। इसी बीच मराठा सेनापति जयप्पा सिंधिया की मृत्यु हो गई और मराठों ने राम सिंह का पक्ष छोड़ दिया तो राम सिंह ने भी जोधपुर का सिंहासन प्राप्त करने के प्रयास बंद कर दिए। विजय सिंह ने उसे सांभर का इलाका भी उसके जीवन निर्वाह के लिए दे दिया। सांभर का कुछ भाग जयपुर राज्य के पास था इसलिए जयपुर के राजा ने भी सांभर का वह भाग राम सिंह को दे दिया।

इस प्रकार विजय सिंह ने मराठों को अजमेर का प्रांत और प्रचुर मात्रा में धन और उनके कहने पर अपने राज्य का कुछ हिस्सा राम सिंह को देकर उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया किंतु इसके बाद भी जोधपुर पर मराठों के आक्रमण, हस्तक्षेप और रुपयों की वसूली जारी रहे। जैसे 1756 ईस्वी में जब विजय सिंह की सेना ने राम सिंह के अधिकार वाले परगनों पर अधिकार कर लिया तो राम सिंह ने पुनः मराठों से सहायता मांगी। इस पर महादजी सिंधिया ने मारवाड़ में भंयकर लूट मार मचाई और विजय सिंह को डेढ़ लाख रुपये देने के लिए विवश किया। 1765 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने फिर एक बार मारवाड़ पर चढ़ाई की और महाराजा विजय सिंह से तीन लाख रुपए वसूल किये। फरवरी,1791 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने तुक्कोजी के साथ मिलकर मारवाड़ पर चढ़ाई की और सांभर, नावां और परबतसर पर अधिकार कर लिया। मराठा सेना ने मारवाड़ की सेना को बुरी तरह पराजित किया और महाराजा विजय सिंह को 60 लाख रुपए देने के लिए विवश होना पड़ा साथ ही उसे एक संधि द्वारा मारवाड़ राज्य द्वारा दिल्ली के बादशाह को दिया जाने वाला कर अब मराठों को देना स्वीकार किया।[3] और इस प्रकार, मारवाड़ राज्य, जो अब तक मुगलों के प्रभुत्व में था, भले ही नाममात्र के लिए, मराठों का एक सहायक राज्य था।

मराठा हस्तक्षेप के अलावा इस समय की मारवाड़ राज्य की राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, जागीरदारों और शासक के बीच कटुतापूर्ण संबंध थे। मुगल काल में जहां मुगल शासकों की शक्तिशाली स्थिति के कारण ये जागीरदार और सामंत मारवाड़ के राजा की अधीनता में कार्य करने के लिए विवश कर दिए गए थे, अब वे मुगल शासकों, और परिणाम स्वरूप मारवाड़ के राजाओं की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र होकर कार्य करने लगे। उनके आपसी संबंध तनावपूर्ण होने लगे। कमजोर राजा की स्थिति में कुछ शक्तिशाली सामंत परंपरागत रूप से निर्धारित किए गए कर चुकाने और सैनिक सहायता उपलब्ध करवाने में आनाकानी करने लगे। अधिकांश जागीरदार अपनी जागीर क्षेत्र में स्वयं स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगे।

इस शोध पत्र में महाराजा विजय सिंह के शासनकाल (1753-93) में मारवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति के महत्त्वपूर्ण पहलू, राजकोषीय आय के साधनों में भू-राजस्व एवं अन्य कृषि करों एवं उपकरों के योगदान, का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल का प्रयास किया गया है।

खालसा और जागीर भूमि

इस समयावधि में मारवाड़ राज्य की संपूर्ण भूमि दो भागों, यथा खालसा और जागीर भूमि, में विभाजित थी। राज्य को इन दोनों प्रकार की भूमि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय होती थी। खालसा भूमि, जोकि राज्य की कुल भूमि का लगभग 15% थी, से स्वयं राजा द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सभी कृषि और गैर कृषि करों और उपकरों की वसूली की जाती थी। जबकि जागीर भूमि, जो कि राज्य की कुल भूमि का लगभग 85% थी, से सभी प्रकार के करों की वसूली का अधिकार जागीरदारों को था। ये सभी जागीरें उन्हें राजा द्वारा प्रदान की गई थी इसलिए बदले में ये जागीरदार अपनी जागीर से प्राप्त होने वाली आमदनी का कुछ भाग राजा को विभिन्न मौकों पर नजर, पेशकश, रेख, चकरी, हुकुमात अथवा उत्तराधिकार शुल्क आदि जैसे कर और उपकर के रूप में प्रदान करते थे।[4]

परगना व्यवस्था

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ राज्य को कुल 21 परगनों में विभाजित किया गया था। परगना, जिसे हुकूमात भी कहा जाता था, इस काल में एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होता था और इसका मुखिया हाकिम कहलाता था। हाकिम की नियुक्ति स्वयं राजा द्वारा की जाती थी और वह अपने परगने में आने वाली समस्त जागीर और खालसा भूमि पर सभी प्रकार के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता था। एक तरफ जहां वह अपने अधीन आने वाले परगने की खालसा भूमि से

अपने सहयोगी कर्मचारियों के माध्यम से सभी कृषि और गैर कृषि करों की वसूली कर राजकोष में जमा करवाता था।[5] वहीं दूसरी तरफ वह उस परगने के जागीरदारों और राजा के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हुए उन जागीरदारों से निश्चित किए गए करों की नियमित रूप से वसूली करता था। इस शोध पत्र में राज्य को विभिन्न परगनों से, भू स्रोतों से, प्राप्त होने वाली आय का अध्ययन किया गया।

सकल राजस्व प्राप्ति अथवा हालजमा

चूंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का समय मारवाड़ राज्य के लिए अराजकता और राजनीतिक अव्यवस्था का दौर था इसलिए इसकी राजस्व प्रणाली ने एक विशेष स्वरूप अथवा आकार ग्रहण कर लिया था। राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व हालजमा कहलाता था। यह शब्द राज्य की विभिन्न परगनों या अन्य प्रशासनिक इकाइयों से प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक राजस्व अथवा आमदनी को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ, राज्य के महत्त्वपूर्ण परगने—मारवाड़ का सकल राजस्व अथवा हालजमा 1780 ईस्वी सन् में 12021 रूपए और 1786 में 20608 रूपए था। टॉड के अनुमान के अनुसार महाराजा विजय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ राज्य की कुल आमदनी 16 लाख रुपए थी, जिसमें से लगभग आधा भाग नमक पर लगाए जाने वाले कर से प्राप्त होता था।[6]

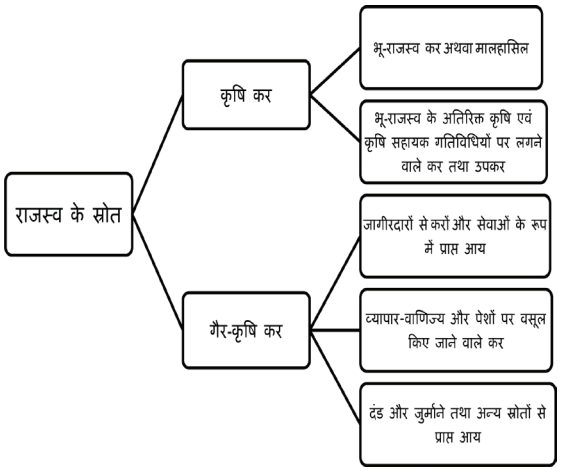

चार्ट 1: मारवाड़ राज्य के राजस्व स्रोत

राज्य के राजस्व से सम्बन्धित समकालीन रिकॉर्ड्स में जिन कृषि और गैर-कृषि करों और उपकरों के नाम मिलते हैं, उनकी सूची निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है-[7]

कृषि कर	गैर-कृषि कर
• बा मालहसिलरा • बा सुकनभेंट रा • बा कणवारी रा • बा पटारा • बा तालिकारा • बा चौथाई रा • बा तलवाना • बा बाजेरा • बा तोलाछापैरा	• बा चुरिगररीचौथाईरा • बा छोतरारा • बा सलारा • बा परखैरा • बा उधारा • बा बटावरा • बा जनरा • बा बघतिरा • बा निकारा • बा गैहरा • बा नवामोंडारा • बा पलिरा • बा फ़रोहिरा • बा घरजब्तीरा • बा खालसारेघरहाटभाड़ेरा • चौधरबाबरा • बा खादिरितुलाइरा • कुचेरिरा

चार्ट 2: मारवाड़ राज्य के कृषि और गैर-कृषि कर और उपकर

तालिका 1 : वर्ष 1770 में मारवाड़ राज्य को विभिन्न परगनों से प्राप्त सकल राजस्व[8]

क्र.सं.	परगने का नाम	राजस्व प्राप्ति (रु. में)
1.	जोधपुर	2151
2.	मेड़ता	13751
3.	परबतसर	13600
4.	जैतारण	1904
5.	भीनमाल	2250
6.	बिलाड़ा	4200
7.	पचपदरा	88002
8.	डीडवाना	21101
9.	मारोठ	7500
10.	नावां	32351
11.	नागौर	15951
12.	दौलतपुर	5400
13.	जालौर	1500
14.	पाली	2500
15.	सोजत	2000
16.	फलोदी	1901

ISSN 2348-3857

भू-राजस्व अथवा मालहासिल

राजकोष की आय का मुख्य स्रोत खालसा भूमि से प्राप्त होने वाला भू-राजस्व था। मारवाड़ में 18वीं शताब्दी के राजस्थानी स्रोतों में लैंड रिवेन्यू के लिए भोग और हासिल शब्दों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः मालहासिल जहां सभी प्रकार के कृषि करों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता था। वहीं भोग और हासिल, काश्तकारों से लिया जाने वाला उनकी उपज का एक हिस्सा होता था। समकालीन स्रोत हमें खरीफ और रबी की फसलों से अलग-अलग प्राप्त होने वाली राशि के आंकड़े, जिन्हें क्रमशः सावणू बाब और उनाळू बाब कहा जाता था, उपलब्ध करवाते हैं।

भू-राजस्व की दर प्रत्येक फसल के अनुसार अलग-अलग होती थी। सामान्यतः यह उपज का एक-तिहाई हिस्सा होता था। कुछ स्थानों पर उनाळू बाब आधा हिस्सा भी होता था। मारवाड़ राज्य को विभिन्न परगनों से किसी वर्ष विशेष में भू-राजस्व अथवा मालहासिल के रूप में प्राप्त होने वाली आय को निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है।[9]

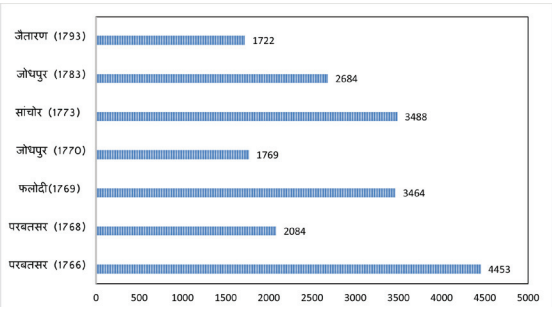

ग्राफ 1 : मारवाड़ राज्य को विभिन्न परगनों से मालहासिल के रूप में प्राप्त आय

भू-राजस्व का निर्धारण और वसूली

भू-राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की प्रक्रिया पूरे राज्य में एक समान नहीं थी और यह कई कारकों पर निर्भर करती थी, जैसे किसान की स्थिति, मृदा का प्रकार, फसल का प्रकार, सिंचाई की सुविधा आदि। राज्य कुछ जातियों के किसानों जैसे- ब्राह्मण, महाजन आदि को भी कुछ मात्रा में करों की वसूली में रियायतें प्रदान की जाती थी। जहां तक भू-राजस्व निर्धारण की प्रणालियों का सवाल है तो यह प्रमुख रूप से निम्नलिखित थी—पहली, हळ प्रणाली, जिसमें हलों की संख्या के आधार पर किसी किसान अथवा पूरे गांव का भू-राजस्व निर्धारित किया जाता था। 1761 में जैतारण परगने में प्रति हल भू-राजस्व की दर एक रुपए 25 पैसे थी। इसी प्रकार, 1794 में सोजत परगने में दो बैलों द्वारा जोते गए हल पर प्रति बीघा छः रुपए वसूल किए जाते थे।[10] दूसरी, लाटा प्रणाली, जिसे अधिकांश किसान पसंद करते थे और मुगल काल में गला-बक्सी के नाम से प्रचलित थी, में फसल की कटाई के बाद उसे एक जगह एकत्र कर किया जाता था और उसकी थ्रेशिंग के बाद राज्य का हिस्सा उपज के रूप में ले लिया जाता था। नापतौल के लिए अलग-अलग इकाइयों का प्रयोग किया जाता था। जैसे जोधपुर परगने में 1770 ईस्वी सन् में प्रति मण 6.75 सेर, जबकि जालौर परगने में प्रति कलसी 2 सेर रबी और खरीफ की फसलों पर वसूल किया जाता था।[11] तीसरी, जब्ती प्रणाली, जिसमें संपूर्ण जोते हुए खेत को को जरीब की सहायता से मापा जाता था और उसके बाद नगद में प्रति बीघा भू-राजस्व तय किया जाता था। इसका प्रयोग साधारणतः नगदी फसलों के लिए किया जाता था। जालौर परगने में तिल पर प्रति बीघा एक रुपया 75 पैसे, मिर्च पर एक रुपया 50 पैसे प्रति बीघा, सब्जियों पर एक रुपया 18 पैसा प्रति बीघा राज्य के हिस्से के रूप में वसूला जाता था।[12] चौथी, कुंता प्रणाली, जो मुगल काल की कनकूत प्रणाली के समान थी, में भू-राजस्व का निर्धारण बिना किसी मापतौल के पैदावार को देखकर अनुमान लगाकर ही कर लिया जाता था। इसी का एक रूप कांकर कूंता प्रणाली था, जिसमें खड़ी फसल को देखकर राज्य का भाग तय कर लिया जाता था। कूंता प्रणाली में भी भू-राजस्व नगद के बजाय उपज के रूप में 4.5 से लेकर पांच सेर प्रति मण तक प्राप्त किया जाता था।[13]

इस कालखंड के पुरालेखीय स्रोतों में राज्य को परगनेवार अलग-अलग फसलों और प्रणालियों से प्राप्त होने वाले भू-राजस्व का रिकॉर्ड सुरक्षित है। जो राज्य की सकल आय में भू-राजस्व के हिस्से के साथ साथ भू-राजस्व प्रणाली के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। परगने विशेष से राज्य को प्राप्त होने वाले मालहासिल की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती थी, जैसे उस परगने में गांवों की संख्या, उसकी भौगोलिक स्थिति, मिट्टी के प्रकार, जोतों की संख्या और उनका आकार, निर्धारण आदि।

तालिका 2 : वर्ष 1766 में जालौर परगने में विभिन्न फसलों की पैदावार और उनसे राज्य को प्राप्त होने वाली आय[14]

क्र. सं.	अनाज का नाम	कुल उत्पादन (कलसी में)	भू-राजस्व की प्राप्ति (कलसी में)
1.	बाजरी	980.75	145.50
2.	चावल	16.00	2.25
3.	ज्वार	1.75	0.25
4.	मूंग	24.75	3.75
5.	मोठ	14.00	2.50
6.	तिल	149.25	17.00
7.	ग्वार	5.75	1.00

अन्य कृषि कर एवं उपकर

ऊपर, हासिल अथवा भोग, जो कृषक की उपज के एक हिस्से के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, के निर्धारण और उसके वसूल करने की प्रक्रिया और उनसे प्राप्त होने वाली राज्य की आमदनी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। राज्य के काश्तकारों को इसके अतिरिक्त अनेकानेक उपकर और लागबाग और बेगार भी देने पड़ते थे। इन उपकरों के नाम और इनसे प्राप्त होने वाली आय का गांववार उल्लेख जोधपुर हुकूमत री जमाबंदी बाहियों में मिलता है। यहां इन करों एवं उपकरों की चर्चा करना समीचीन होगा।

घास बाब अथवा घासमारी राजकीय भूमि अथवा वनों में पशुपालकों और किसानों द्वारा पशुचारण किए जाने पर लिया जाने वाला कर होता था। मारवाड़ राज्य में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत होता था। अतः घासमारी राज्य द्वारा वसूल किया जाने वाला एक प्रमुख कर था। 1765 ईस्वी में महाराजा विजय सिंह ने गायों की चराई पर से घासमारी कर खत्म कर दिया था।[15] रबारी, जो मारवाड़ की एक मुख्य पशुपालक जाति है, प्रति पशु एक निश्चित राशि राज्य को अदा करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। कुछ पशु, जैसे बकरी और ऊंट, घास के अलावा पेड़-पौधों की पत्तियां भी खाते थे इसलिए उनके मालिकों को पनचराई नामक कर देना पड़ता था। यहां के किसान और पशुपालक अपने पशुओं के लिए वर्ष भर के चारे के लिए बारिश की मौसम में होने वाली घास को काटकर संरक्षित करते थे, जिस पर उन्हें खड़कटी नामक कर राज्य को अदा करना पड़ता था।

सेरिणो काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला एक प्रमुख उपकर था, जिसमें उससे प्रत्येक मण की उपज पर एक सेर अर्थात कुल पैदावार का 2.5% लिया जाता था। परंपरागत रूप से इसे उपज के रूप में ही लिया जाता था, किंतु आलोच्य अवधि में इसकी वसूली भी नगद रूप में ही होती थी। मालहासिल अथवा भू-राजस्व के बाद राज्य को इसी मद से सर्वाधिक आमदनी होती थी। कुछ स्थानों पर यह 1.25 सेर प्रतिमण की दर से भी वसूला जाता था, ऐसी स्थिति में इसे सवा सेरिणो भी कहा जाता था।[16]

घीयाई बाब नामक कर पशुपालकों द्वारा घी के उत्पादन और उसके व्यापार वाणिज्य अथवा विक्रय पर लिया जाता था। परगना सिवाणा से इस मद में अन्य परगनों की अपेक्षा अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। कारण कि यहां सेवण नामक एक विशेष प्रकार की घास खाने वाली गायों और भैंसों से प्राप्त होने वाले घी, जिसकी मांग अधिक होती थी, का उत्पादन अधिक होता था।

जब कोई किसान राज्य द्वारा निर्धारित किए गए करों की अदायगी नियत समय पर नहीं करता था, तो राज्य बकाया राशि के साथ-साथ तलबाना के रूप में एक अतिरिक्त कर भी लेता था। हालांकि दरबार को इस मद से बहुत मामूली आमदनी ही प्राप्त होती थी।

खरड़ा खर्च रा, भू-राजस्व की वसूली पर होने वाले खर्च के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भू-राजस्व निर्धारण और वसूली पर होने वाले खर्च के नाम पर जो उपकर वसूल किए जाते थे, उनमें प्रमुख थे- दस्तूर रा, भाड़ा रा, भरोती रा, पत्ता रा, बाजे रकम आदि। महीनदार-रो-रोजगार नामक कर भू-राजस्व से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों, जिन्हें स्थानीय भाषा में कणवारियां कहा जाता था, पर होने वाले खर्च के रूप में लिया जाता था।

राज्य को कृषि सहायक क्रियाओं, जिसमें पशुपालन सबसे महत्त्वपूर्ण था, से भी आमदनी प्राप्त होती थी। राज्य सामान्य किसानों द्वारा पशु रखने और और पेशेवर पशुपालकों, दोनों पर, कर लगाता था। समकालीन स्रोतों में ऊंट बाब- ऊंट रखने पर, बळद बाब- बैल रखने पर, भैंस बाब- भैंस रखने पर, एवड़ बाब- भेड़-बकरी पालन पर, घोड़ों रो हासल- घोड़ा अथवा घोड़ी रखने पर, आदि प्रकार के पशु करों का उल्लेख मिलता है।

निष्कर्ष

18वीं शताब्दी के देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन पर विभिन्न इतिहासकारों ने प्रचुर कार्य किया है।

इस समयावधि की राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर इतिहासकारों द्वारा सामान्यतः, स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विरोधी, दो मत प्रस्तुत किए गए हैं। एक मत औपनिवेशिक अथवा साम्राज्यवादी और कैंब्रिज इतिहासकारों का है, जिनका मानना है कि 18वीं शताब्दी का समय भारतीय इतिहास में एक तरीके से "अंधकार युग" के समान था। उनके अनुसार यह दौर भयंकर राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार-वाणिज्य का पतन, उद्योग-धंधों के विनाश और कृषि के पतन का काल था। वहीं दूसरे कुछ इतिहासकारों, जिनमें राष्ट्रवादी इतिहासकार प्रमुख है, का मत है। इतिहासकारों के इस वर्ग का मत है कि इस कालखंड में एक केंद्रीय सत्ता का चाहे पतन हो रहा था, किंतु कई शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय और विस्तार भी हुआ। इन क्षेत्रीय राज्यों के योग्य शासकों ने अपने-अपने राज्यों में न केवल आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थापना की अपितु वहां आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए व्यापार-वाणिज्य, उद्योग-धंधों और कृषि के विस्तार के लिए कार्य किया। इन राज्यों के कई शासकों ने अपनी आम जनता की समृद्धि और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य भी किए। 18वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास को लेकर प्रस्तुत किए गए इन परस्पर विरोधी दो मतों की स्थिति में इसी सदी के अंतिम पचास वर्षों में राजस्थान की एक प्रमुख रियासत, मारवाड़, के आर्थिक इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण पहलू, किसानों से वसूल किए जाने वाले करों एवं उपकरों का अध्ययन करना अपने आप में अहम हो जाता है।

इस शोध पत्र में अठाहरवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ अथवा मारवाड़ राज्य की कृषि एवं भू-राजस्व प्रणाली का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसके निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मारवाड़ सहित राजस्थान की सभी रियासतों में यह बदलावों के दौर से गुजर रही थी। निरंतर मराठा आक्रमणों तथा जागीरदारों और शासकों के बीच कटुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता फैल जाती है। परिणामस्वरूप, राज्य की आर्थिक स्थिति में भी एक निरंतर ह्रास की स्थिति इस कालखंड में देखने को मिलती है। इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस समय मारवाड़ राज्य में न केवल व्यापार-वाणिज्य का पतन, उद्योग-धंधों का विनाश और कृषि में लगातार गिरावट हो रही थी, अपितु मारवाड़ दरबार को इनसे प्राप्त होने वाली आय भी निरंतर कम हो रही थी। यद्यपि इस समयावधि में विपरीत परिस्थितियों के कारण कृषि में गिरावट आई किंतु राजकोष को प्राप्त होने वाली आय में सर्वाधिक योगदान अभी भी कृषकों से वसूल किए जाने वाले करों का ही था।

संदर्भ सूची

1. रेऊ, वि.एन., मारवाड़ का इतिहास भाग प्रथम, जोधपुर आर्कियोलॉजिकल डिपार्मेंट (जोधपुर गवर्नमेंट प्रेस से मुद्रित), जोधपुर, 1938, पृ.सं. 367-368
2. टॉड, कर्नल जेम्स, एनाल्स एंड इंटीक्विटीज ऑफ़ राजस्थान, केशव कुमार ठाकुर द्वारा अनुवादित, 1962, इलाहाबाद, आदर्श हिंदी पुस्तकालय, 1929, पृ.सं. 452-455
3. रेऊ, पूर्वोक्त, पृ.सं. 388-90
4. अर्सकिन, के.डी., द राजपूताना गजेटीयर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ गवर्नमेंट प्रिंटिंग कोलकाता, कोलकाता, 1908, पृ.सं. 188-189
5. अर्सकिन, पूर्वोक्त, पृ.सं. 187
6. टॉड, पूर्वोक्त, पृ.सं. 503-04
7. करों की यह सूची राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में संरक्षित जोधपुर रिकॉर्ड्स; अपुरालेखीय अभिलेख और जोधपुर हुकुमत री जमाबंदी बहीयों की सहायता से बनाई गई है।
8. यह तालिका जोधपुर हकीकत बही नंबर 1, विक्रम संवत 1820-30, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, की सहायता से बनाई गई है।
9. यह ग्राफ जोधपुर हकीकत बही नंबर 1 एवं 2 की सहायता से बनाई गई है।
10. जैतारण हुकुमत-री-जमाबंदी बही नंबर 667, वि.स.1818/ई.1761, डीएओ, जोधपुर; सोजत रा छोतरा रे जमाखर्च री बही, सं. 1832, वि.सं. 1851/ई.1794, डीएओ, जोधपुर।
11. जोधपुर हुकुमत री जमाबंदी बही नंबर 935, वि.सं. 1823/ई.1766, डीएओ, जोधपुर।
12. उपर्युक्त
13. उपर्युक्त
14. यह तालिका जोधपुर हुकुमत री जमाबंदी बही, संख्या 935, वि.स. 1823/ई.1766 में निहित जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।
15. रेऊ, पूर्वोक्त, पृ.सं. 381
16. जोधपुर रिकॉर्ड्स; अपुरालेखीय अभिलेख, बस्ता संख्या 53, ग्रंथक संख्या 11, पृ.सं. 7, आरएसए, बीकानेर